राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांकः लेखा एवं वित्त/2022/776 दिनांक 15-3-2022

परिपत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन से प्राप्त पत्र जिसमे इच्छुक कार्मिकों के वेतन से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से राज्य बीमा की कटौती करवाने का अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम है तथा जो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की योजना राज्य बीमा के तहत निर्धारित दर से प्रीमियम कटौती करवाने के इच्छुक है। ऐसे समस्त कर्मिकों से अनुरोध है कि वे निम्न प्रारूप में अपने विभाग के माध्यम से सहमती Mail ID offauniraj@gmail.com पर प्रदान करे ताकी प्रकरण में राज्य बीमा विभाग से उक्त योजना को विश्वविद्यालय कार्मिको हेतु स्वीकृत करवाने की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। राज्य बीमा की कटौती मार्च के वेतन से ही होती है, अतः अविलम्ब अपनी सहमती प्रदान करावें।

S.No.	Emp. Code	Name of Employee	Designation	DOB	Signature	Remark

उप कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांकः लेखा एवं वित्त/2022/777-878 दिनांक 15-3-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र अपने अधीन को भी सूचित करावें :–

1. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/वाणिज्य/विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय पुस्तकालय/गांधी अध्ययन/शारीरिक शिक्षा अध्ययन/दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित छात्रावास।
6. समस्त छात्रावास अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रावास।
7. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, निजी सचिव/सचिव, कुलपति/कुलसचिव/ परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

सहायक कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)